संख्या 1302/03.06.15

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 376/2015-2016

फाइल संख्या F-31852

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री ठाकुर श्याम बिहारी शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान।

श्याम बिहारी भवन म0नं0 699 मो0 कटरा पो0 अयोध्या तहसील सदर जिला–फैजाबाद।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या 255/2010-11

दिनांक 18/05/2010 को दिनांक 18/05/2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 03/06/2015

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19A[illegible]

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ
फैजाबाद-उ० प्र०

श्री ठाकुर श्याम बिहारी सिंह
प्रशिक्षण संस्थान
फैजाबाद
स्मृति-पत्र

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
29/7/10

Scanned by CamScanner

(Rule 327)

Certificate of Search

Certificate No. 124/2015

Application No. 15/2015

Sir, आशीष प्रतापसिंह पुत्र तेज प्रतापसिंह सा० बागापार तहसील सदर जनपद महराजगंज

Having applied to me for a certificate giving particulars of Registered Acts an encumbrance if any respect of under mentioned. आराजी मौजा = बागापार तप्पा कटहरा परगना हवेली तहसील सदर जनपद महराजगंज

Property नम्बर | रकबा = 4606 | 1.829 हे० में से हिस्सा – 1.016 हे०

मूल खातेदार का नाम – कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागापार जिला महराजगंज संचालित द्वारा श्री ठाकुर उमा शक्ति शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जरिए प्रबन्धक श्री आशीष प्रतापसिंह पुत्र तेज प्रतापसिंह सा० उपरोक्त

I hereby certify that a Search has been made in book Read in the indexes relation there to from the year 2004 to the year 2015 for acts and encumbrance refecting the said property and that on such the following act and encumbrance appears.

S.L. No.	Description of property as giving in the document	Date of execution	Nature of value of document	Name of part	Reference of document entry
1	2	3	4	5	6

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार तलाश किया गया प्रश्नगत इकरारनामा कोई भार नहीं पाया गया।

also certify that same the aforesaid acts and encumbrance on either other acts and encumbrance affecting the said property have been found Search made and certificate prepared by.

R.C

Signature (Registration)

Search verified and certificate Examining by:

Signature

(Designation)

Office कार्यालय उपनिबन्धक सदर

जगदम्बा शुक्ल
उप-निबन्धक
सदर महराजगंज

Seal

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर महराजगंज।

वाद संख्या:- 76/013

अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अधिनियम
मौजा-बागापार तप्पा-कटहरा परगना-हवेली
तहसील-सदर जनपद-महराजगंज।

आशीष प्रताप सिंह----बनाम----सरकार

आदेश

प्रस्तुत कार्यवाही आशीष प्रताप सिंह पुत्र तेज प्रताप सिंह निवासी ग्राम बागापार द्वारा धारा-143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रारम्भ किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि मौजा बागापार स्थित आ0नं0 4606 रकबा-1.016हे0 बजरिये बैनामा प्राप्त किया गया है। उक्त भूखण्ड में कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागापार द्वारा श्री ठाकुर श्यामबिहारी प्रशिक्षण संस्थान बजरिये प्रबंधक श्री आशीष प्रताप सिंह का निर्माण हो चुका है, तथा विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त अपने अस्तित्व में है तथा उसके पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड अब कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। वादी द्वारा उक्त भूखण्ड को अकृषिक आबादी भूमि घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर तहसीलदार सदर से स्थलीय जाँच आख्या मंगायी गयी। तहसीलदार सदर द्वारा इसकी जाँच हल्का लेखपाल एवं क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से कराते हुये उनकी आख्या को अपनी संस्तुति सहित दिनांक 25.4.13 को न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि विषयगत भूखण्ड में विद्यालय का भवन बना हुआ है, तथा शेष भूमि प्रांगण के रूप में है। भूमि मौके पर अकृषिक है।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विषयगत भूखण्ड संख्या 4606मि. रकबा-1.016हे0 के अंकित खातेदार है, और उक्त भूखण्ड में स्नातकोत्तर विद्यालय स्थपित होकर पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है, जिससे निर्विवाद रूप से उक्त आराजी मौके पर अकृषि भूमि की परिभाषा में नहीं रह गयी है। चूंकि अंकित खातेदार द्वारा ही विषयगत भूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है, इसलिये धारा-143 ज0वि0अधि0 के प्राविधानों के अनुसार उक्त भूखण्ड को गैर कृषि प्रयोजन भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अत: मौजा-बागापार तप्पा-कटहरा परगना-हवेली तहसील-सदर महराजगंज स्थित आ0नं0 4606 रकबा-1.016हे0 को गैर कृषि प्रयोजन भूमि घोषित किया जाता है। परवाना जारी किया जाय। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

ह0
सत्यापित
(अभिषेक द्विवेदी)

दिनांक:-29.4.2013

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

SHRI THAKUR SHYAM BIHARI
SIKSHAN PRASIKSHAN SANSHTHAN

18/05/2010
Permanent Account Number

AAIAS7202F

28122012

Scanned by CamScanner

उद्धरण खतौनी

ग्राम कोड/अंक : 52010211091 ग्राम का नाम : बागापार परगना : हवेली तहसील : महराजगंज(सदर)

जनपद : महराजगंज फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्प
1	2			3	4	5	6	7-12	
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार में हो।									
00266	कौशल किशोर तेजप्रताप स्नाकोत्तर महाविद्यालय बागापार			1418	4606मि	1.0160			
					कुल गाटे : 1	कुल क्षे : 1.0160	25.10		

1/22/2016

Scanned by CamScanner

महाविद्यालय में एक ही गाटा संख्या 4606/1,829 हेक्टेयर में स्थित में होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है ग्राम बागापार, तप्पा, कटहरा, परगना हवेली, तहसील- सदर जनपद- महराजगंज में निर्माणाधीन कौशलकिशोर तेजप्रताप स्ना0 महाविद्यालय एक ही गाटा संख्या 4606/1.829 हेक्टेयर में स्थित है ।

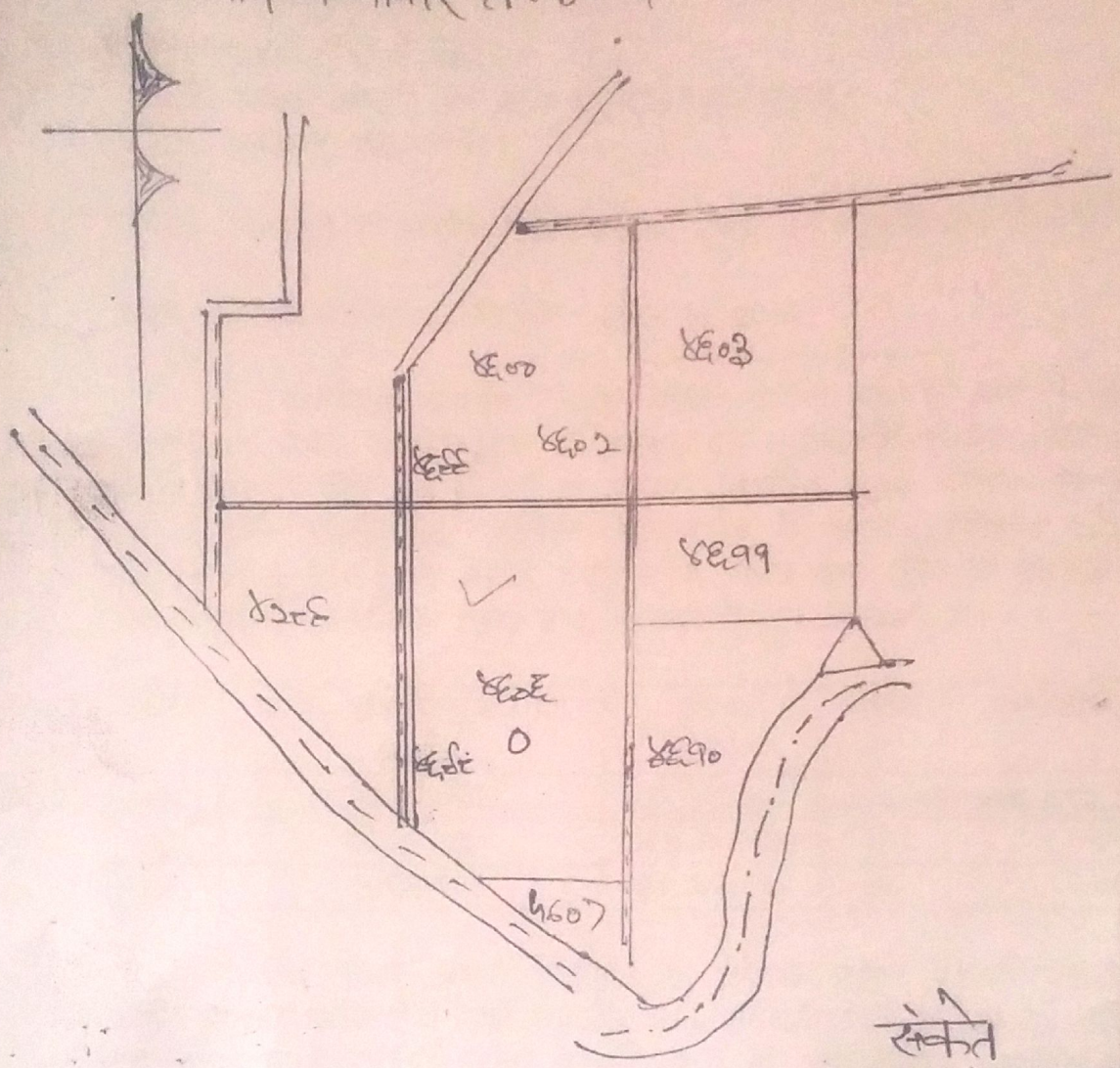

नजरी नक्शा

बाबत गाटा सं० 4606/
ग्राम बागापार [illegible] परगना हवेली तहसील [illegible]

संकेत

नाम	चिह्न
चकमार्ग	
नाली	
सड़क	
नाला	
कुआ	O

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी, जनपद महराजगंज उत्तर प्रदेश

पत्र संख्याः एफ0एस0–विद्या0 / 2014

दिनाँकः अप्रैल 23, 2015

सेवा में

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातक महाविद्यालय,
बागापार, महराजगंज।

विषयः– विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपके प्रार्थना पत्र दिनाँक– अप्रैल 20, 2015।

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके विद्यालय में उपलब्ध 05 अदद एक्सटिंग्यूशर्स की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्याः 1120 (1)/आठ, दिनाँक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये– 50–00, भारतीय स्टेट बैंक शाखा– महराजगंज, जनपद– महराजगंज में चालान संख्या– M113528, दिनाँकः 22–04–2015 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 05 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर्स का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
~~01.~~	~~डी0सी0पी0~~	~~05 कि0ग्रा0~~	~~–~~	[illegible]
02.	सी0ओ0टू0	04.5 कि0ग्रा0	01	कार्यशील
03.	ए0बी0सी0	04 कि0ग्रा0	04	कार्यशील

इस प्रकार आपके विद्यालय में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर्स की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी तथा उपलब्ध सभी कर्मचारी / अधिकरियों को प्रशिक्षण दिया गया। अतः विद्यालय में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। शेष सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार वांछनीय होगी तथा समय–समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रवन्धक / प्रधानाचार्य का होगा। उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

नोटः– इस प्रमाण पत्र को भवन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

23/04/15

अग्निशमन अधिकारी

महराजगंज।

अग्निशमन अधिकारी

महराजगंज

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, महराजगंज

पत्रांक [illegible] /ज्यादे / 1 A / दिनांक: 28/ 4/ 14

सेवा में

प्रबंधक

कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातक महाविद्यालय

बागापार, महराजगंज।

विषय:- कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातक महाविद्यालय बागापार, महराजगंज के भवनों का निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र सं०- शून्य, दिनांक 14.3.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातक महाविद्यालय निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
महराजगंज

Scanned by CamScanner

निरीक्षण आख्या

प्रबन्धक, कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातक महाविद्यालय बागापार, महराजगंज के पत्र सं0–शून्य दिनांक 20.04.2014 के क्रम में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 के भाग–4 टेबुल 23 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार दिनांक 21.04.2014 को कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातक महाविद्यालय बागापार, महराजगंज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में महाविद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग–4 टेबुल 23 के मानक के अनुरूप सन्तोषजनक पाया गया।

संलग्नक– फोटोग्राफ।

अवर अभियंता
नि0खं0, लो0नि0वि0
महराजगंज

सहायक अभियंता
नि0खं0, लो0नि0वि0
महराजगंज

अधिशासी अभियंता
नि0ख0, लो0नि0वि0
महराजगंज

Scanned by CamScanner

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक : सि0वि0क0/सम्बद्धता/2015/162 दिनांक 15/10/2015

सेवा में,

प्रबन्धक
कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बागापार, महराजगंज

विषयः– प्रबन्ध समिति की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 28–08–2015 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि मा0 कुलपति जी ने महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को उ0प्र0 राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम की धार–2 (13) के अन्तर्गत उसके निर्वाचन की तिथि दिनांक 19–05–2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करने की कृपा की है।

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी और सदस्य–

1.	श्रीमती कमला सिंह	अध्यक्ष
2.	श्रीमती कनक सिंह	उपाध्याक्ष
3.	श्री आशीष प्रताप सिंह	प्रबन्धक
4.	श्री अजीत प्रताप सिंह	उप प्रबन्धक
5.	श्रीमती रागिनी सिंह	कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमती निशा सिंह	सदस्य
7.	श्री रामानन्द	सदस्य
8.	श्रीमती नीतू सिंह	सदस्य
9.	प्राचार्य (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य
10.	शिक्षक प्रतिनिधि (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य
11.	शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य

भवदीय,
15/X/15
(अखिलेश तिवारी)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ।

2– निजी सचिव कुलपति।

भवदीय,
15/X/15
(अखिलेश तिवारी)
कुलसचिव

Scanned by CamScanner

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांक: दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2015 / 183 दिनांक 28 / 2 / 2015

अनापत्ति पत्र

मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि शासनादेश संख्या 2103 / सत्तर–2–2012–2(166) / 2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुसार स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित अनापत्ति समिति की बैठक दिनांकः 24.02.2015 को हुई। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि निम्नलिखित सोसाइटी / महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1.	अ	संचालक सोसाइटी / ट्रस्ट का नाम	श्री ठाकुर श्यामबिहारी शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थान, श्यामबिहारी भवन, मकान नं0 699 मो0– कटरा, पो0– अयोध्या, तहसील– सदर, जनपद– फैजाबाद
	ब	पंजीकरण तिथि	18.05.2010
	स	पंजीकरण वैधता तिथि	17.05.2015
2.	अ	महाविद्यालय का नाम	कौशल किशोर तेज प्रताप महाविद्यालय, बागापार,तहसील, महराजगंज
	ब	पूर्व संचालित महाविद्यालय की स्थिति में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का नाम	पुराना महाविद्यालय
	स	स्थायीकरण की स्थिति	अस्थाई
3		अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है / या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु	स्नातक
4.	अ	अनापत्ति से सम्बन्धित संकाय	विज्ञान संकाय
	ब	अनापत्ति से सम्बन्धित विषय	स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणि विज्ञान विषयों में

1. सोसाइटी द्वारा महाविद्यालय के नाम भूमि बैनामा द्वारा अन्तरित की गयी है। अतः इस अनापत्ति के अन्तर्गत विषयाधीन पाठ्यक्रमों का संचालन ग्राम–बागापार, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–महराजगंज मे गाटा सं0 4606 मि0 रकबा–1.016 है0 महाविद्यालय के नाम अंकित है। महाविद्यालय पक्की रोड से 200 मी0 दूरी पर ही सम्पर्क मार्ग के रुप में वर्तमान में कच्च मार्ग है जिसकी चौड़ाई 15 फिट है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उक्त भूमि पर राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के मानकानुसार निर्मित भवन में किया जायेगा। उक्त से भिन्न भूमि / भूखण्ड पर महाविद्यालय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. महाविद्यालयों की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता एवं नजरी नक्शा की स्थिति–उपलब्ध है।
3. उक्त पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की वचनबद्धता रू0 100 / – (रू0 एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से लिखित अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सम्बद्धता हेतु पूर्वानुमति मिल जाने पर और उसके पश्चात विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय / संस्थान मे प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेंगे तो महाविद्यालय / संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेंगी।
5. उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान / महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 3079 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों मे विनिर्दिष्टि मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
6. उक्त सोसाइटी / संस्थान / महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उत्तर प्रदेश शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
7. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी प्रकार की लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
8. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि भवन, शिक्षकों एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान / महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

Scanned by CamScanner

9. शासनादेश संख्याः 4070/सत्तर–2–2011–16(686)/2011 (उच्च शिक्षा अनुभाग–2) दिनांक 20.04.2012 के अनुसार महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अनुसार क्रमशः न्यूनतम 15 एवं 20 फिट होना अनिवार्य है। महाविद्यालय पक्की रोड से 200 मी० दूरी पर ही सम्पर्क मार्ग के रूप में वर्तमान में कच्चा मार्ग है जिसकी चौड़ाई 15 फिट है।
10. शासन के पत्र संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2013 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालयों को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 अर्हतानुसार योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होने चाहिए।
11. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(10) के प्राविधान के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश नहीं किया जायेगा।
12. सम्बद्धता के निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर निरीक्षण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय–
    1. भवन/चहारदीवारी के निर्मित होने की स्थिति/मानचित्र की स्वीकृति।
    2. सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई।
    3. सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि का अतिक्रमण न किया जाना।
    4. आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की शुद्धता।
    5. विभिन्न गाटों की संयुक्तता।
    6. बैंक खाते में अपेक्षित धनराशि का होना।
    7. वांछित भूमि की खतौनी को उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना।
    8. सोसाइटी की वैधता।
    9. शिक्षकों की नियुक्ति।
    10. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन।
    11. अग्निशमन व्यवस्था।
    12. यह अनापत्ति वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है अथवा वह असत्य पाया जाता है तो इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
4. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. अधीक्षक, सम्बद्धता अनुभाग को एन0ओ0सी0 रजिस्टर में चस्पा कराने के निर्देशों के साथ।
8. समन्वयक, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनापत्ति पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2015/396

प्रेषक,

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य
कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागापार, महराजगंज।

विषय– कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागापार, महराजगंज स्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि "माननीय कार्यपरिषद के आकस्मिक बैठक 29.05.2015 के निर्णयानुसार महाविद्यालयों में मानकानुसार स्थायी प्राचार्य के अभाव में तथा लगातार तीन वर्षों में संस्थागत छात्रों का प्रस्तावित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत से कम परीक्षाफल होने की स्थिति में मात्र एक वर्ष सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तरण कर दिया जाय परन्तु यदि एक वर्ष के अन्दर स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं करते हैं और परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम होता है तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है"।

अतः माननीय कार्यपरिषद के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 29.05.2015 के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागापार, महराजगंज स्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, गृहविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत मात्र सत्र 2015–16 अर्थात् एक वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है।

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 मे उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशो एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या: दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2015/________तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

Scanned by CamScanner

फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक: 495 /सम्बद्धता/2013 दिनांक: 09/05/2013

सेवा में,

प्रबन्धक,
कौशल किशोर तेज प्रताप स्ना0 महाविद्यालय
बागापार, महराजगंज

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 11.04.2013 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास एवं गृहविज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
स्नातक स्तर : कला संकाय		
1.	मिथिलेश कुमारी	प्रवक्ता, हिन्दी
2.	डॉ0 प्रीति सिंह	प्रवक्ता, संस्कृत
3.	डॉ0 अम्बिका कुमार सिंह	प्रवक्ता, समाजशास्त्र
4.	डॉ0 सर्वेश कुमार तिवारी	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र
5.	श्री सूर्य प्रकाश सिंह	प्रवक्ता, भूगोल
6.	डॉ0 प्रियनाथ सिंह	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास
7.	कु0 नीलू श्रीवास्तव	प्रवक्ता, गृहविज्ञान

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट का उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव

Scanned by CamScanner